रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 476] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 1974/कार्तिक 29, 1896
No. 476] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 1974/KARTIKA 29, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

ORDER

New Delhi, the 20th November 1974

S.O. 669(E)/18/FB/IDRA/74.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 333(E)/18A/IDRA/72, dated the 4th May, 1972, read with the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 280(E), dated the 2nd May, 1974, the management of the industrial undertaking known as Smith, Stanistreat and Company Limited, Calcutta, has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of the 3rd May, 1976;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interest of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of drugs and pharmaceuticals;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments entered into before the 4th day of May, 1972 and in force immediately before the date of publication of this Order in the Official Gazette and relating to banks and financial institions, to which the said industrial undertaking or the company owing such undertaking is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from the date of publication of this order in the Official Gazette, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall, remain suspended for the said period

[No. F. 4/2/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 नवम्बर 1974

का० आ० 669 (अ) / 18 च ख / आई डी आर ए/74—यत भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय, के आदेश सं० का० आ० 280 (ई) तारीख 2 मई, 1974 के साथ पठित, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 333 (ई) 18/क/आई डी आर ए/72, तारीख 4 मई, 1972 द्वारा, स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का उद्यम उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क के अधीन 3 मई, 1976 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए ग्रहण किया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि औषधियों और भैषजिकों के उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि 4 मई, 1972 से पूर्व की गई और राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, प्रवर्तन राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उपगत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि पर्यन्त निलंबित रहेंगे ।

[सं० का० 4/2/72-पी० यू० सी०]

दि० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974